न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अमरोहा।

<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–02/2018</u>

विपिन.....बनाम.....उ0प्र0 राज्य

एवं

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–14/2018

सतपाल.....बनाम.....उ0प्र0 राज्य

<u>आदेश</u>

<u>17.01.2018:</u> प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2/2018, प्रार्थी/अभियुक्त विपिन पुत्र सूरजमल की ओर से एवं जमानत प्रार्थनापत्र सं0–14/2018, प्रार्थी/अभियुक्त सतपाल पुत्र श्री रामअवतार की ओर से मुकदमा अपराध संख्याः 522/2017, अन्तर्गत धारा 394, 411 भा.दं.सं., थाना गजरौला, जिला अमरोहा में जमानत हेतु प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है, क्योंकि वे एक ही अपराध संख्या, धारा व थाने से सम्बन्धित हैं।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों व केस डायरी का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 20.08.2017 को समय करीब 11:00 बजे प्रातः वादी अजय सिंह अपनी पत्नी श्रीमती पुष्पा के साथ अपनी मोटर साईकिल नं0–यू0पी0 21ए.आर.–8747 से आ रहा था, जैसे ही गधापुर फाटक से रेलवे लाईन के किनारे बनी कच्ची चकरोड से जा रहा था तो पीछे से दो बदमाश आये और उसकी मोटर साईकिल को ओवरटेक करके रूकवाकर उसकी पत्नी के गले की चैन, कुण्डल, नथली, अंगूठी, जोकि सभी सोने के थे, सभी छींन लिये तथा उसकी जेब से 100/–रुपये, डी.एल. ले लिया। उसकी पत्नी ने उनकी मोटर साईकिल का नम्बर देखने का प्रयास किया तो कट्टे की बट से मारा, जिससे काफी चोट आयी।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दोनों जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए तर्क दिये गये हैं कि प्रार्थीगण को गलत व झूठा फंसाया गया है। वह पूर्णतः निर्दोष हैं। वह दोनों प्रार्थी विपिन के पिताजी की आरिष्टी के कार्ड बांट रहे थे तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया व 1200/–रूपये भी जब्त कर लिये। वादी या उसकी पत्नी से उनकी कोई शिनाख्त नहीं करायी गयी है, न ही उनसे कोई लूट का माल बरामद हुआ है। वह दिनांक 12.12.2017 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्रों का विरोध करते हुए विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण ने वादी की मोटर साईकिल को ओवरटेक करके रोककर उसकी पत्नी से सोने के जेबर, वादी से 100/–रूपये, डी.एल. आदि लूट लिये तथा वादी की पत्नी के साथ मारपीट भी की। उक्त लूट के रूपये भी प्रार्थीगण से बरामद हुए हैं। अपराध गंभीर प्रकृति का है अतः जमानत निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रस्तुत प्रकरण में कथित लूट की घटना दिनांक 20.08.2017 की है एवं दिनांक 12.12.2017 को अर्थात् कथित घटना के करीब चार महीने बाद कथित लूट से सम्बन्धित माल बेचे जाने के प्रार्थी/अभियुक्त सत्यपाल से 750/—रूपये एवं विपिन से 800/—रूपये बरामद होने बताये गये है, किन्तु उक्त बरामदगी का जनता का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी होना नहीं बताया गया है और न ही उनके कब्जे से लूट का कोई सामान बरामद होना बताया गया है। वादी अथवा उसकी पत्नी से प्रार्थी/अभियुक्तगण की नियमानुसार कोई शिनाख्त कार्यवाही कराया जाना नहीं बताया गया है। वादी की पत्नी/घायल श्रीमती पुष्पा को कोई गंभीर चोट आना नहीं बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 12.12.2017 से जिला कारागार में निरूद्ध होना बताये गये है। अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में गुणदोष पर विचार किये बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाते हैं।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त प्रत्येक द्वारा 60,000/—रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये। इस आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र सं0—14/2018 पर रखी जाये। एसडी.

दिनांकः 17.01.2018

(उमेश कुमार शर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।